राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4666/2022

सुभिता कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं तथा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुंनू।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नवलगढ़, झुंझुंनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.09.2022
आदेश की दिनांक : 01.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय महला, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाझड़, झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय, फलौदी, जोधपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश में अधिशेष दर्शाते हुए स्थानान्तरण किया गया है जबकि अपीलार्थी को रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया था, अपीलार्थी के पति भारतीय सेना में उत्तराखण्ड में कार्यरत हैं और वर्ष 2010 में दुःखद घटना जिसमें उनके पति का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। इस प्रकार अपीलार्थी एक विधवा महिला है और राज्य सरकार ने ऐसे कार्मिको के प्रति पदस्थापन के संबंध में सहानुभूति दर्शायी है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए वर्तमान पदस्थापन स्थान से 500 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किया है जो राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी के सास एवं ससुर भी जीवित नहीं हैं और अपीलार्थी स्वयं बीमारियों से पीडित है। उनके बच्चों की देखभाल के लिए अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाझड़, झुंझुंनू में कार्यरत है। अनुलग्नक–2 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पति का भारतीय सेना में ड्यूटी के दौरान दुःखद घटना में निधन हुआ है। इस प्रकार अपीलार्थी वर्तमान में विधवा कार्मिक है। उसके विधवा कार्मिक होने एवं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)